प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'उनतालीस'

[15/3/2018]

प्रश्न सं. [क्र. 3626]

परिशिष्ट

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 3626 द्वारा माननीय विधायक डॉ. मोहन यादव

म.प्र./छ.ग. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976

अध्याय 1

प्रारम्भिक

(Preliminary)

नियम 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ (Short title and commencement)– [1](1) ये नियम [1]''मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976'' कहलायेंगे।

(2) ये नियम 1 जून 1976 से प्रभावशील होंगे।

नियम 2. प्रयुक्ति (Application) – [1](1) इन नियमों में जहां अन्यथा उपबंधित हो को छोड़कर ये नियम उन शासकीय सेवकों जो मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त हैं और इन स्थापनाओं पर हैं जिन्हें पेंशन के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, को लागू होंगे।

(2) किन्तु ये नियम निम्न को लागू नहीं होंगे–

(ए) कार्यभारित स्थापना (वर्क चार्ज) में लगे हुए व्यक्ति पर;

(बी) आकस्मिक और दैनिक दर पर रोजगार में लगे हुए व्यक्ति पर;

(सी) आकस्मिकता मद से भुगतान पाने वाले व्यक्ति पर;

(डी) अंशदायी भविष्य निधि का लाभ पाने के हकदार व्यक्ति पर;

(ई) संविदा में जैसा अन्यथा उपबन्धित है, के सिवाय, संविदा पर कार्य करने वाले व्यक्ति पर; तथा

(एफ) व्यक्ति, जिनकी सेवा के निबन्धन और शर्तें तत्समय प्रवृत्त किन्हीं अन्य नियमों द्वारा विनियमित होती हैं।

[2]जो (छ) राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में, सेवाओं अथवा पदो पर, एक जनवरी 2005 को अथवा उसके पश्चात् स्थायी या स्थायी रूप से नियुक्त किये गये शासकीय सेवक

टिप्पणी 1. 9 अगस्त, 1948 के पूर्व, जिस दिनांक से रीवा पेंशन नियम, संयुक्त विन्ध्य प्रदेश राज्य को लागू किये थे, निम्नलिखित रियासतों में की गई सेवा, पेंशन के लिये संगणित नहीं की जायेगी क्योंकि इन राज्यों में उनके अपने कोई संहिताबद्ध पेंशन नियम नहीं थे–

अलीपुरा बाओनी, बनका पेहडी, बरौंधा, बेरी–बीहट, भैसुन्दा, बिजाना धुरवाई, गराउली, गौरिहार, जासो, जिगनी, कामता, रजवला, खनियाधाना, कोठी, लुगासी, नएगवाँ, रेवाई, पहाड़ा, पालदेव–नयागाँव, सोहावल, टेराँव, टेरी फतेहपुरा, मैहर। (भारत शासन गृह मंत्रालय क्र. एफ. 15/69/55/स्थापना (सी), दिनांक 22 जून, 1956 के सन्दर्भानुसार)।

[3][**टिप्पणी 2**– पेंशन के लिये मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न घटकों में सेवारत पटावारियों की सेवाओं की गणना निम्नानुसार की जाना है–

(1) मध्यप्रदेश क्षेत्र के आवंटित पटवारीगण – 1–11–48 से;

(2) मध्य भारत क्षेत्र के आवंटित पटवारीगण – 1–4–52 से;

---

1. वित्त विभाग अधिसूचना क्र. एफ बी.6/9/76/नि–2/चार, दिनांक 14–5–76 द्वारा प्रसारित एवं मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 14–5–76 में प्रकाशित।
2. वि.वि. अधि. क्र. एफ. 9–3–2005 नियम/चार दि. 2.4.05 से जी (छ) जोड़ा गया।
3. टिप्पणी – वित्त विभाग क्र. एफ. बी. 6/3/78/आर–2,/चार दिनांक 10–3–1978 द्वारा स्थापित तथा दिनांक 1 -6–1976 से प्रभावशील)